(भारत का राजपत्र के भाग–III, खंड–4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 106 **नई दिल्ली,** **13 जुलाई, 2006**

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार कोचीन पत्तन के एर्नाकुलम घाट, मट्टनचेरी घाट और कंटेनर माल केन्द्र (सीएफएस) में कंटेनर भंडारण एवं कार्गो पर्यवेक्षण प्रभार लागू करने के लिए कोचीन पत्तन न्यास (सीओपीटी) के प्रस्ताव का अनुमोदन करता है।

(अ.ल. बोंगिरवार)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/59/2005-सीओपीटी

कोचीन पत्तन न्यास (सीओपीटी) .... **आवेदक**

आदेश

(जून, 2006 के 26वें दिन पारित किया गया)

यह मामला कोचीन पत्तन के एर्नाकुलम घाट, मट्टनचेरी घाट और कंटेनर माल केन्द्र (सीएफएस) में कंटेनर भंडारण और कार्गो पर्यवेक्षण प्रभार लागू करने के लिए कोचीन पत्तन न्यास (सीओपीटी) से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1 यह प्रस्ताव कोचीन कस्टम हाऊस एजेंटस एसोसिएशन (सीसीएचएस) से पहले प्राप्त एक पत्र की पृष्ठभूमि में उत्पन्न हुआ है, जिसमें यह शिकायत की गई थी कि सीओपीटी ने टीएएमपी के अनुमोदन के बिना सीएफएस में भंडारण और पर्यवेक्षण प्रभार के रूप में प्रति 20 फुट वाले कंटेनर के लिए 200/- रुपए का अतिरिक्त प्रभार लागू कर दिया है।

2.2 सीओपीटी को परामर्श दिया गया था कि लागू किया गया तदर्थ प्रशुल्क संशोधित प्रशुल्क दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं था और जब तक टीएएमपी द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाए, तब तक कोई अतिरिक्त घाटशुल्क वसूल नहीं किया जाना चाहिए। सीओपीटी को यह भी परामर्श दिया गया था कि प्रस्तावित प्रशुल्क का औचित्य सिद्ध करने के लिए लागत ब्योरों के साथ-साथ संबंधित प्रशुल्क के लिए एक अलग प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

3.1 इस पृष्ठभूमि में, सीओपीटी ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। सीओपीटी द्वारा अपने प्रस्ताव में उल्लिखित प्रमुख मुद्दे निम्नलिखित हैं:-

(i) राजीव गांधी कंटेनर टर्मिनल (आरजीसीटी) दोनों पक्षों के बीच निष्पन्न लाइसेंस करार (एलए) के अनुसार मैसर्स इंडिया गेटवे टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (आईजीटीपीएल) को 1 अप्रैल, 2005 को सुपुर्द किया गया था।

(ii) आरजीसीटी को आईजीटीपीएल को सुपुर्द करने से पहले पत्तन अपने सीएफएस एवं घाटों पर आरजीसीटी से और तक कंटेनर भरने एवं खाली करने की सूविधा प्रदान कर रहा था। चूंकि, पत्तन स्वयं दोनों सुविधाओं का प्रचालन कर रहा था, इसलिए सीएफएस और घाटों की

सुविधा आरजीसीटी प्रचालनों की पूरक थीं। जब सीओपीटी टर्मिनल का प्रचालन कर रहा था, तब दरों के मान के अनुसार वसूल किया गया प्रशुल्क निम्नवत् थाः

(क) 800/- रुपए और 1200/- रुपए की मिश्रित दर क्रमशः 20 फुट और 40 फुट वाले भरे/खाली एफसीएल कन्टेनरों के घाटशुल्क के लिए लगाई गई थी। दोहरे पत्तन प्रभार से बचने के लिए पत्तन के घाट अथवा सीएफएस में खाली किए गए ऐसे बॉक्सों अथवा कार्गो पर पत्तन द्वारा कन्टेनर पर भूमि किराया अथवा कार्गो पर घाट शुल्क नहीं लगाया गया था।

(ख) कन्टेनरों से खाली किए गए एलसीएल कार्गो पर सीएफएस में खाली किए गए कार्गो के लिए घाटशुल्क संग्रहित किया गया था। कन्टेनर में एलसीएल कार्गों को भरने के मामले में दरों के मान के अनुसार घाटशुल्क की केवल बॉक्स दर संग्रहित की गई थी। उपरोक्त प्रभारों के अतिरिक्त, 2300/- रुपए और 3750/- रुपए की दर पर क्रमश 20 फुट और 40 फुट को कन्टेनर वाले भरने/खाली करने का प्रभार संग्रहित किया गया था।

(iii) आईजीटीपीएल द्वारा प्रचालन अधिग्रहित करने के बाद कन्टेनर टर्मिनल में घाटसुल्क प्रचालक द्वारा संग्रहित किया गया था और पत्तन ने केवल भरने/खाली करने का प्रभार लगाया था। यद्यपि, पत्तन ने प्रारंभ में सीएफएस में घाटशुल्क संग्रहित किया परंतु वह दोहरे संग्रहण के बारे में प्रयोक्ताओं द्वारा की गई शिकायतों के दृष्टिगत समाप्त कर दिया गया था।

(iv) 8 घंटे की पाली के लिए भरने और खाली करने हेतु लागत का आंकड़ा निम्नानुसार हैः

एफएलटी प्रभार	4800/- रुपए
श्रमिक	4710/- रुपए
कार्यालय और पर्यवेक्षीय कर्मचारियों की लागत	9485/- रुपए
उपरिव्यय	7097/- रुपए
निवेश पर ब्याज	583/- रुपए
मूल्यह्रास	1388/- रुपए
निवेश पर आय	6250/- रुपए
घंटे पर प्रति पाली कुल लागत	**34313/- रुपए**

(v) सीएफएस में प्रति आठ घंटे की पाली 6 टीईयू के गैंग उत्पादन के आधार पर भरने/खाली करने की सेवाएं प्रदान करने की लागत प्रति टीईयू 5719/- रुपए होती है। इसकी तुलना में इसके दरों के मान में निर्धारित प्रशुल्क प्रति टीईयू केवल 2300/- रुपए के स्तर पर ही है।

(vi) राजस्व की उपरोक्त हानि की प्रतिपूर्ति करने तथा पत्तन के घाट और सीएफएस में कन्टेनर/कार्गो प्रहस्तन के संबंध में निःशुल्क सेवा प्रदान करने से बचने के लिए भी इसने एफसीएल कन्टेनरों से कार्गो और 20 फुट के कन्टेनर के लिए 200/- रुपए और 40 फुट के कन्टेनर के लिए 400/- रुपए की दर पर भरे जाने वाले समेकित एलसीएल कार्गो पर भंडारण और पर्यवेक्षण प्रभार संग्रहित करने का प्रस्ताव किया है। उक्त दर दिनांक 18 अगस्त, 2005 से संग्रहित की जा रही है।

(vii) सीओपीटी ने कब्जा किए गए स्थान की लागत के संदर्भ में प्रस्तावित प्रशुल्क का औचित्य भी दिया है। 20 फुट का कन्टेनर आच्छादित स्थान का लगभग 30 वर्गमीटर लेता है। कार्गो के लिए औसतन $9^1/_2$ दिनों की निःशुल्क अवधि (अर्थात आयात के लिए 7 दिन + निर्यात के लिए 12 दिन = 19 दिन ÷ 2 = $9^1/_2$ दिन) दी जानी होती है। आच्छादित स्थान के लिए प्रति माह 40/- रुपए प्रति वर्गमीटर पर निर्धारित किराए पर विचार करते हुए प्रति दिन का किराया 1.33 रुपए प्रतिदिन है। 30 वर्ग मीटर स्थान के लिए 9.5 दिनों का किराया 380/- रुपए है। अन्य सीएफएस 3 से 5 दिनों निःशुल्क अवधि दे रहे हैं। इसलिए, सीओपीटी केवल 5 दिनों के लिए अर्थात 1.33x30x5 = अर्थात 200/- रुपए प्रभारित करने का आशय रखता है।

3.2 सीओपीटी ने प्रस्तावित प्रशुल्क लागू करने के लिए निम्नलिखित आधार प्रस्तुत किया हैः--

(i) कोई कन्टेनर आईजीटीपीएल को घाटशुल्क का भुगतान करके पत्तन परिसर में आएगा और पत्तन सीएफएस अथवा घाट क्षेत्र में खाली करने के समय तक रूकेगा और खाली कन्टेनर संबंधित लाइन/एजेंट द्वारा हटाया जाता है। इसके लिए कन्टेनर भंडारण प्रभार पत्तन द्वारा वसूल किया जाना होगा।

(ii) खाली होने के बाद कार्गो को 7 दिनों की निःशुल्क अवधि मिलेगी और इसी प्रकार कार्गो, जिसे भरने के लिए घाट के सीएफएस में समेकित किया जाता है, को भी 12 दिनों की निःशुल्क अवधि मिलेगी। यह निःशुल्क अवधि कन्टेनर टर्मिनल में कार्गो द्वारा निःशुल्क अवधि प्राप्त करने के समान है। दूसरे शब्दों में, कन्टेनर तक और से भरने/खाली करने के प्रचालन के अतिरिक्त कार्गो को निःशुल्क अवधि की सुविधा मिलेगी और निःशुल्क अवधि के लिए

भंडारण प्रभार वसूल किया जाना होगा। चूंकि, इस मामले में कार्गो घाटों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए कोई घाटशुल्क नहीं लगाया जा सकता।

(iii) घाटशुल्क अदा करने के कारण आईजीटीपीएल के अधीन कन्टेनर और कार्गो निःशुल्क अवधि प्राप्त करेंगे और पत्तन परिसर में लागत मुक्त आगे और निःशुल्क अवधि प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त, आयात एलसीएल कार्गो कई परेषितियों को सुपुर्द किया जाता है और इसलिए पत्तन उन सभी से कुल बॉक्स तक समानुपातिक राशि की प्रतिपूर्ति नहीं कर सकता।

(iv) कन्टेनर चाहे वह 20 फुट अथवा 40 फुट लम्बा हो, को सामान्यतया भरने/खाली करने के लिए क्षेत्र में केवल 3 दिनों तक रूकने की अपेक्षा होती है। इसने पत्तन घाटों और सीएफएस में कन्टेनरों के 3 दिनों से अधिक रूकने के लिए भूमि किराया प्रभार लगाने का प्रस्ताव किया है।

3.3 संक्षेप में, सीओपीटी द्वारा प्रस्तावित प्रशुल्क व्यवस्था निम्नानुसार है:--

(i) पत्तन घाटों और सीएफएस में कन्टेनरों (एफसीएल/एलसीएल भरे अथवा खाली) पर भंडारण प्रभार

क्रम सं.	**कब्जे की अवधि**	**प्रति दिन अथवा उसके भाग के लिए प्रति कन्टेनर दर**	
		20 फुट अमरीकी डालर में	**40 फुट अमरीकी डॉलर में**
1.	पहले तीन दिन*	निःशुल्क	निःशुल्क
2.	4थे दिन से 15वें दिन	3.00	6.00
3.	16वें दिन से 30वें दिन	6.00	12.00
4.	उसके बाद	12.00	24.00

(टिप्पणीः * तीन दिन की निःशुल्क अवधि कन्टेनर को भरने अथवा खाली करने के लिए पत्तन की ओर से किसी विलम्ब को छोड़कर है, जिसे यातायात प्रबंधक/अपर यातायात प्रबंधक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।)

(ii) एफसीएल कन्टेनरों से भरे जाने वाले कार्गो और समेकित एलसीएल कार्गो पर भंडारण और पर्यवेक्षण प्रभार निम्नानुसार है:--

20 फुट वाले कन्टेनर के लिए : 200/- रुपए

40 फुट वाले कन्टेनर के लिए : 400/- रुपए

(iii) एलसीएल कार्गो के मामले में, सीओपीटी अपने दरों के मान में निर्धारित दरों के अनुसार परेषिती से घाटशुल्क संग्रहित करेगा और आईजीटीपीएल को बॉक्स दर घाटशुल्क की प्रतिपूर्ति करेगा।

(iv) निःशुल्क अवधि के बाद कार्गो के अधिक रूकने के लिए विलम्ब शुल्क विद्यमान दरों के मान के विलम्ब शुल्क प्रभारों की अनुसूची के खण्ड 3.2.2 के अनुसार होगा।

3.4 सीओपीटी ने दिनांक 18 अगस्त, 2005 से प्रस्तावित प्रशुल्क व्यवस्था अनुमोदित करने का अनुरोध किया है, क्योंकि यह इस तारीख से अनन्तिम प्रभार पहले से ही संग्रहित कर रहा है।

4.1 निर्धारित परामर्शी प्रक्रिय के अनुसार प्रस्ताव की एक प्रति इंडिया गेटवे टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (आईजीटीपीएल) और विभिन्न प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ताओं के प्रतिनिधिक निकायों को उनकी टिप्पणी के लिए परिचालित की गई थी।

4.2 आईजीटीपीएल और प्रयोक्ता संगठनों से प्राप्त टिप्पणियों की प्रति पृष्ठभूमि संबंधी जानकारी/टिप्पणियों के रूप में सीओपीटी को अग्रेषित की गई थी। सीओपीटी ने आईजीटीपीएल और अन्य प्रयोक्ता संगठनों के अवलोकनों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं।

5.1 प्रस्ताव की प्रारंभिक जांच के आधार पर सीओपीटी से विभिन्न बिंदुओं पर अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। सीओपीटी ने समुचित सूचना प्रस्तुत कर दी है। हमारे द्वारा उठाए प्रश्नों और सीओपीटी द्वारा प्रस्तुत सूचना का सारांश नीचे सारणीबद्ध हैः--

क्रम सं.	हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्न	सीओपीटी का उत्तर
(i)	पत्तन द्वारा प्रस्तुत भरने/खाली करने की लागत के आंकड़ों में कार्यालय और पर्यवेक्षीय कर्मचारियों की लागत तथा अन्य लागत घटकों के अतिरिक्त उपरिव्यय पहले से शामिल है। भंडारण और पर्यवेक्षण प्रभारों के लिए प्रति टीईयू 200/- रुपए की प्रस्तावित दर का औचित्य देने के लिए प्रदान की गई सेवा की लागत के ब्यौरे प्रस्तुत करें।	(क) इसने अपने प्रस्ताव में दिए गए अनुसार भरने/खाली करने के लिए लागत का ब्यौरा प्रस्तुत किया है। इसने बाद में स्पष्ट किया है कि लागत ब्यौरा में सीएफएस में कन्टेनरों को भरने और खाली करने की सेवाएं प्रदान करने के लिए पत्तन द्वारा व्यय की गई लागत का विशेष उल्लेख किया गया है। (ख) प्रति टीईयू 200/- रुपए की प्रस्तावित दर कन्टेनरों को भरने के पूर्व और बाद,

क्रम सं.	हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्न	सीओपीटी का उत्तर
		जिसके लिए निःशुल्क दिवस प्रदान किए जाते हैं, कार्गो के भंडारण के लिए भूमि किराया वसूल करने के लिए ही है। (ग) निःशुल्क दिवस प्राप्त करने पर कार्गो द्वारा देय समानुपातिक पट्टा किराया का वर्णन प्रस्तावित दर का औचित्य देने के लिए प्रस्ताव में किया गया है।
(ii)	मौजूदा भरने/खाली करने के प्रभार की समीक्षा करके प्रस्तावित पर्यवेक्षण प्रभारों को शामिल नहीं करने के कारण स्पष्ट करें।	इसके दरों के मान का संशोधन दिनांक 1 जनवरी, 2006 से बकाया है। चालू संशोधन में पर्यवेक्षण के लिए प्रभारों को भरने/खाली करने के प्रभार में शामिल किया जाएगा और एक मिश्रित दर का प्रस्ताव किया जाएगा।
(iii)	सीओपीटी का मौजूदा दरों का मान प्रशुल्क लगाने के प्रयोजनार्थ एफसीएल और एलसीएल कन्टेनर के बीच कोई विभेद नहीं करता है। प्रयोक्ताओं पर वित्तीय जटिलताओं को समझने के लिए इस प्रस्ताव के अनुसार संग्रहित किए जाने के लिए संकल्पित प्रशुल्क की तुलना में इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरों के मान के अनुसार एफसीएल और एलसीएल कन्टेनर के लिए प्रत्येक शीर्ष के अधीन संग्रहित यथार्थ प्रशुल्क का उल्लेख करें।	(क) एलसीएल कार्गो निर्यात के लिए विभिन्न कस्टम हाउस एजेंटों द्वारा छोटी यात्राओं में पत्तन में लाया जाता है और पत्तन विलम्ब शुल्क आदि के लिए प्रभार यात्रा और ढुलाई की तारीख के आधार पर लगाए जाते हैं। इसी प्रकार, किसी कन्टेनर से एलसीएल आयात कार्गो विभिन्न कस्टम हाउस एजेंटों द्वारा अपनी सुविधा पर प्रवेश पत्र दाखिल करके भिन्न-भिन्न दिनों को निपटाया जाता है। देय पत्तन प्रभार दरों के मान के अनुसार प्रत्येक पण्य वस्तु के लिए भिन्न-भिन्न होगा। (ख) घाटशुल्क और प्रहस्तन प्रभार संग्रहित करने के प्रयोजनार्थ किसी कन्टेनर की

क्रम सं.	हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्न	सीओपीटी का उत्तर
		एलसीएल और एफसीएल स्थिति किसी कन्टेनर प्रचालन के लिए कोई महत्व नहीं रखती। चूंकि, यह विशेष रूप से सीएफएस कार्यकलाप से संबंधित है, इसलिए कार्गो की मात्रा और प्रकृति तथा सामान्य कार्गो प्रहस्तन कार्यकलापों पर लागू दरों के मान के प्रावधानों को हिसाब में लेना आवश्यक है। (ग) इसने आईजीटीपीएल द्वारा प्रचालन अधिग्रहित करने के पूर्व और दिनांक 1 अप्रैल, 2005 के बाद अपने दरों के मान में निर्धारित दरों के अनुसार पत्तन द्वारा लगाए गए भरने/खाली करने के प्रभारों का ब्यौरा प्रस्तुत किया है। इसने पुष्टि की है कि प्रस्तावित कार्गो भंडारण प्रभार लागू होने के बाद वित्तीय जटिलता 20 फुट के कन्टेनर के लिए 200/- रुपए और 40 फुट के कन्टेनर के लिए 400/- रुपए होगी।
(iv)	यह स्पष्ट करें कि क्या एलसीएल कार्गो पर घाटशुल्क संग्रहित करने और आईजीटीपीएल को घाटशुल्क की बॉक्स दर की प्रतिपूर्ति करने का प्रावधान आईजीटीपीएल की सहमति से है या नहीं। अगर हां, तो इस संबंध में आईजीटीपीएल द्वारा दिए गए सहमति पत्र की प्रति प्रस्तुत करें। यह भी स्पष्ट करें कि क्या एलए पत्तन और निजी प्रचालक के बीच ऐसी प्रशुल्क व्यवस्था की अनुमति देता है। यह	(क) एलसीएल कार्गो पर घाटशुल्क का संग्रहण और आईजीटीपीएल को घाटशुल्क की बॉक्स दर की प्रतिपूर्ति करने पर दिनांक 7 नवम्बर, 2005 को हुई पत्तन प्रयोक्ताओं की बैठक में चर्चा की गई है, जब आईजीटीपीएल ने भाग लिया और सहमति दी थी। पत्तन ने दिनांक 7 नवम्बर, 2005 को हुई बैठक के कार्यवृत्त का संगत सार प्रस्तुत

क्रम सं.	हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्न	सीओपीटी का उत्तर
	उल्लेखनीय है कि घाटशुल्क लगाना सीएफएस प्रचालनों के लिए संगत नहीं है।	किया है। (ख) एलए में ऐसी प्रशुल्क व्यवस्था के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, आईजीटीपीएल आयात एलसीएल के मामले में खाली करने के लिए पत्तन सीएफएस को कन्टेनर सुपुर्द करता है, इसलिए पत्तन एलसीएल बॉक्स कार्गो के विभिन्न आयातकों से अपने संग्रहण से अपना वैध घाटशुल्क अदा कर सकता है। (ग) यह सत्य है कि घाटशुल्क सीएफएस के संगत नहीं है। सीओपीटी का सीएफएस प्रचालन मार्गस्थ शेड प्रचालन, जहां सीएफएस के चालू होने के पूर्व ब्रेक बल्क कार्गो को भरने और खाली करने का कार्य किया जा रहा था, के विकल्प के रूप में प्रारंभ हुआ था और सीएफएस के चालू होने से सभी सामान्य कार्गो को भरने और शेड को खाली करना वैयक्तिक साज-सामान को छोड़कर समाप्त कर दिया गया था।
(v)	वह निःशुल्क अवधि, जिसके बाद पत्तन के घाटों/सीएफएस में कन्टेनरों पर भंडारण प्रभार लगाया जाना प्रस्तावित हैं, में संशोधित प्रशुल्क दिशानिर्देशों के अनुरूप रविवार, सीमाशुल्क अवकाश दिवस और पत्तन के अकार्य दिवस शामिल नहीं होना चाहिए।	यह रविवार, सीमाशुल्क के अवकाश दिवसों और पत्तन के अकार्य दिवसों को छोड़कर 3 दिनों की निःशुल्क अवधि प्रदान करने के लिए सहमत है।
(vi)	पिछले तीन वर्षो के लिए सीएफएस में	कार्गो/कन्टेनर के रूकने के समय से संबंधित

क्रम सं.	हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्न	सीओपीटी का उत्तर
	कार्गो/कन्टेनर के लिए रूकने के समय का विश्लेषण प्रस्तुत करें। 5 दिनों की भंडारण अवधि और 3 दिनों की प्रस्तावित निःशुल्क अवधि के आधार पर परिकलित दर विरोधाभासी प्रतीत होती है। कृपया स्पष्ट करें।	सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। भरने के पूर्व चट्टे पर रखे गए कार्गो के रूकने का समय और अन्य सीएफएस में अनुमत्य निःशुल्क अवधि पर कार्गो के लिए 3 दिनों की निःशुल्क अवधि प्रदान करते समय विचार किया गया है। भंडारण प्रभार 3 दिनों की निःशुल्क अवधि के लिए कार्गो की मात्रा के लिए वास्तविक किराए के आधार पर प्रस्तावित है।

5.2 यहां यह उल्लेख करना संगत है कि महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित प्रशुल्क व्यवस्था अनुमोदित नहीं करने की दशा में दिनांक 18 अगस्त, 2005 से प्रयोक्ताओं से अनन्तिम रूप से संग्रहित प्रभारों की वापसी का वचनपत्र प्रस्तुत करते हुए सीओपीटी ने दिनांक 29 सितम्बर, 2005 को व्यापार जगत को जारी परिपत्र भी अग्रेषित किया है।

6.1 आईजीटीपीएल से भरे/खाली किए गए कन्टेनरों पर उस अवधि, जब आईजीटीपीएल ने सीओपीटी के मौजूदा दरों के मान अपनाकर अंतरिम व्यवस्था प्रचालित की, के दौरान घाटशुल्क की उच्चतर दर का औचित्य देने के लिए इन कन्टेनरों को प्रदान की जाने वाली विशेष सेवाओं पर टिप्पणी देने का अनुरोध किया गया था।

6.2 आईजीटीपीएल ने अनुस्मारक के बावजूद हमारे द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर कोई विशिष्ट टिप्पणियां अग्रेषित नहीं की हैं। इसने एक सामान्य अभ्युक्ति की है कि यह प्रस्ताव से सहमत है और आरजीसीटी में प्रहस्तन किए गए एफसीएल और एलसीएल कन्टेनरों पर घाटशुल्क उनके द्वारा संग्रहित किया जाएगा।

7.1 इस मामले पर दिनांक 31 जनवरी, 2006 को संयुक्त सुनवाई आयोजित की गई थी। संयुक्त सुनवाई में सीओपीटी, आईजीटीपीएल और संबंधित प्रयोक्ता संगठनों ने अपने अनुरोध प्रस्तुत किए थे।

7.2 संयुक्त सुनवाई में सीओपीटी से दोनों टर्मिनल और सीएफएस में प्रचालनों के प्रवाह और संबंधित स्थानों में लगाए जाने वाले संगत प्रशुल्क को दर्शाते हुए एक ब्यौरेवार विवरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। इस विवरण में आईजीटीपीएल द्वारा टर्मिनल का प्रचालन अधिग्रहित करने के पूर्व और पश्चात दोनों अवधियों को शामिल किया जाना चाहिए। सीओपीटी को आईजीटीपीएल के परामर्श से एलसीएल कन्टेनरों

के मामले में बिलिंग व्यवस्था निर्धारित करने और उस पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी सुझाव दिया गया था।

7.3 सीओपीटी ने अपेक्षित सूचना प्रस्तुत कर दी है। सीओपीटी द्वारा उल्लिखित प्रमुख मुद्दों का यहां नीचे वर्णन किया गया हैः-

(i) आरजीसीटी को आईजीटीपीएल को सौंपने के पूर्व घाटशुल्क को छोड़कर संपूर्ण प्रभार नौवहन लाइनों से पत्तन द्वारा वसूल किए जा रहे थे, जबकि कन्टेनरों पर घाटशुल्क कस्टम हाउस एजेंटों से वसूल किए गए थे।

(ii) (क) संयुक्त सुनवाई के दौरान, आईजीटीपीएल और पत्तन दोनों द्वारा सीएफएस/साज-समान शेड में एलसीएल आयात कार्गो पर घाटशुल्क के दोहरे संग्रहण के बारे में मुद्दे पर चर्चा की गई थी। इस संबंध में पत्तन द्वारा निवेदन किया गया था कि पत्तन द्वारा पहले आईजीटीपीएल को एक प्रस्ताव किया गया था कि पत्तन एलसीएल कार्गो के संबंध में घाटशुल्क वसूल करना जारी रख सकता है और आईजीटीपीएल के दरों के मान के अनुसार समतुल्य बॉक्स दर घाटशुल्क प्रेषित कर सकता है।

(ख) तथापि, आईजीटीपीएल ने स्पष्ट किया कि उनके लिए कन्टेनरों की एलसीएल/एफसीएल स्थिति का पता लगाना और प्रणाली से एलसीएल कन्टेनरों पर घाटशुल्क के संग्रहण को छोड़ना बहुत कठिन था। इसलिए, आईजीटीपीएल ने इच्छा व्यक्त की कि उन्हें सभी बॉक्स पर उनकी एलसीएल/एफसीएल स्थिति पर ध्यान दिए बिना घाटशुल्क संग्रहित करने की अनुमति दी जाए।

(ग) इस चरण पर पत्तन न्यास ने इस प्राधिकरण से निवेदन किया है कि आरजीसीटी प्रचालन के प्रारंभ से ही आयातित एलसीएल कार्गो पर घाटशुल्क सीएफएस/साज-समान शेड में संग्रहित किया जा रहा था और ऐसा संग्रहित घाटशुल्क प्रति बॉक्स संग्रहित घाटशुल्क से बहुत अधिक था। यह इस कारण है कि प्रत्येक एलसीएल बॉक्स में बहु-आयातकों के लिए अभिप्रेत कार्गो होता है और मूल्यानुसार आधार पर उनका घाटशुल्क बॉक्स दरों से बहुत अधिक था। इसलिए, इसने इस प्राधिकरण से सीएफएस/साज-समान शेड में अलग-अलग एलसीएल कार्गो पर घाटशुल्क के संग्रहण की अनुमति देने का अनुरोध किया था।

(iii) उपरोक्त निवेदनों के दृष्टिगत, अध्यक्ष (महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण) ने सुझाव दिया कि पत्तन न्यास आईजीटीपीएल में कन्टेनरों पर प्रभारित किए जा रहे घाटशुल्क को प्रतिसंतुलित करने

के लिए एलसीएल आयात कार्गो पर संग्रहित किए जा रहे वर्तमान घाटशुल्क पर रियायत प्रदान करने पर विचार कर सकता है।

(iv) तदनुसार, इसने यादृच्छिक आधार पर 23 टीईयू के संबंध में सीएफएस में एलसीएल कार्गो पर संग्रहित घाटशुल्क के ब्यौरे संकलित किए हैं और इस संबंध में तैयार विवरण प्रस्तुत किया है। विवरण से पता चलता है कि मात्रा के आधार पर और दरों के मान के अनुसार मूल्यानुसार आधार पर संग्रहित घाटशुल्क प्रति टीईयू 1,600/- रुपए से 18,000/- रुपए तक भिन्न-भिन्न होता है और प्रति टीईयू इस प्रकार संग्रहित औसत राशि 5,777/- रुपए होती है। यह परिकलित किया गया था कि अगर सीएफएस/साज-समान शेड में प्रहस्तन किए जा रहे एलसीएल कार्गो पर घाटशुल्क पर 10% की रियायत का प्रस्ताव किया गया था तो ऐसी रियायत की औसत राशि प्रति टीईयू 570/- रुपए होगी, जो आयातकों की ओर से लाइनों द्वारा आईजीटीपीएल को अदा किए जा रहे 500/- रुपए के घाटशुल्क को प्रतिसंतुलित करगी।

(v) कतिपय एलसीएल कार्गो आयात पर उत्पन्न उच्चतर घाटशुल्क एलसीएल कन्टेनरों में व्यापारियों द्वारा व्यापारिक पण्य वस्तुओं के आयात के कराण है। उच्च मूल्य वाले कार्गो होने के कारण ये पण्य वस्तुएं मूल्यानुसार आधार पर ऐसा घाटशुल्क अदा कर सकती हैं।

(vi) पत्तन को निर्दिष्ट दरों पर 10% की रियायत की अनुमति देते हुए अध्याय-III कोचीन पत्तन न्यास के दरों के मान में (बल्क और ब्रेक-बल्क कार्गो के लिए घाटशुल्क की अनुसूची) कार्गो संबद्ध प्रभार में यथा प्रदत्त सीएफएस/साज-समान शेड में एलसीएल कार्गो प्रबंध प्रभार के नाम में एलसीएल आयात/निर्यात कार्गो पर घाटशुल्क के संग्रहण की अनुमति दी जा सकती है। यहां यह उल्लेख करना संगत होगा कि प्रत्येक बॉक्स पर एलसीएल कार्गो प्रबंध प्रभार की भागीदारी कई आयातकों द्वारा की जाएगी; जिसकी पूर्ण रूप से प्रति आयातक वास्तविक राशि समानुपातिक रूप से वितरित की जाएगी।

8. इस मामले में परामर्श से संबद्ध कार्यवाहिया इस प्राधिकरण के कार्यालय में रिकार्डो पर उपलब्ध हैं। प्राप्त टिप्पणियों और संबंधित पक्षों द्वारा दिए गए तर्कों का सार संबंधित पक्षों को अलग से भेजा जाएगा। ये ब्यौरे हमारी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in में भी उपलब्ध हैं।

9. इस मामले में की गई जांच-पड़ताल के दौरान एकत्रित समग्त सूचना के संदर्भ में निम्नलिखित स्थिति उभरती है:

(i) सीओपीटी के मौजूदा दरों में मान के भरने और खाली करने के प्रभारों को छोड़कर सीएफएस में प्रदान की गई सेवाओं के लिए कोई पृथक प्रशुल्क निर्धारित नहीं किया गया है।

सीओपीटी ने सूचित किया है कि अपने राजीव गांधी कन्टेनर टर्मिनल (आरजीसीटी) को इंडिया गेटवे टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड टर्मिनल (आईजीटीपीएल) को सौंपने के पूर्व अप्रैल, 2005 से आगे एर्नाकुलम घाट, मट्टनचेरी घाट और अपने सीएफएस में पत्तन द्वारा प्रदान की गई कंटेनर-संबद्ध विभिन्न सेवाएं आरजीसीटी कन्टेनर प्रहस्तन प्रचालनों का पूरक थीं। यह उल्लेखनीय है कि कन्टेनर प्रचालनों के लिए सीओपीटी का मौजूदा दरों का मान सीएफएस प्रचालन सहित संपूर्णता में कन्टेनर प्रहस्तन कार्यकलाप की वित्तीय स्थिति निर्भर रहते हुए नियत किया गया था और सीएफएस कार्यकलाप का कोई पृथक विश्लेषण नहीं किया गया था।

आरजीसीटी को आईजीपीटीएल द्वारा अधिग्रहित करने पर भरने और खाली करने के प्रभारों, जो पत्तन द्वारा लगाए जा रहे हैं, को छोड़कर कन्टेनर प्रहस्तन के सभी प्रभार आईजीटीपीएल द्वारा लगाए जाते हैं। अधिक लाभदायी टर्मिनल प्रचालनों को निजीकृत करने से पत्तन यह पाता है कि सीएफएस कार्यकलाप घाटे में है।

इसने यह भी तर्क दिया है कि भरने/खाली करने की लागत जिसकी पत्तन द्वारा सूचित उत्पादकता स्तर के आधार पर प्रति टीईयू 6594/- रुपए होती, तुलना में, पत्तन द्वारा लगाया जाने वाला प्रभार प्रति टीईयू केवल 2300/- रुपए के स्तर पर है।

(ii) राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति करने और सीएफएस के कार्यकलाप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, सीओपीटी ने अपने घाटों और सीएफएस में कार्गो पर्यवेक्षण प्रभार लागू करने का प्रस्ताव किया है। यह प्राधिकरण सीएफएस के कार्यकलाप को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सीओपीटी की चिंता से पूर्णतः सहमत है। तथापि, यह मानना होगा कि परस्पर आर्थिक-सहायता के प्रभाव को नकारते हुए अलग से एक कार्यकलाप की अकेले समीक्षा से केवल मिथ्या वर्णन की स्थिति उत्पन्न होगी। यह एक स्वीकार्य स्थिति है कि सीएफएस के कार्यकलाप को टर्मिनल प्रचालन से उपलब्ध अधिशेष द्वारा परस्पर आर्थिक-सहायता दी गई थी।

केवल इस कार्यकलाप, जो घाटे में है, की पत्तन के विभिन्न कार्यकलापों के बीच परस्पर आर्थिक-सहायता के प्रभाव का विश्लेषण किए बिना अलग से समीक्षा करना उपयुक्त नहीं पाया जाता है।

पत्तन ने सीएफएस प्रचालन में और विशेषकर सीएफएस में पर्यवेक्षण सेवाएं प्रदान करने के संबंध में शामिल राजस्व और लागत प्रस्तुत नहीं किया है। कोचीन कस्टम हाउस एजेंट एसोसिएशन का तर्क कि पर्यवेक्षण की लागत पत्तन द्वारा प्रस्तुत भरने/खाली करने की लागत में शामिल की गई है, स्वीकार किए जाने योग्य है। सीओपीटी ने अंतिम रूप से यह स्थापित

करने के लिए कोई विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया है कि भरने/खाली करने के प्रभार में शामिल पर्यवेक्षण लागत विशेष रूप से भरने/खाली करने की सेवाओं के लिए है और सीएफएस में अन्य सामान्य कार्यकलापों के लिए नहीं है।

(iii) यहां तक कि यद्यपि, टर्मिनल प्रचालन से सीएफएस कार्यकलाप को परस्पर आर्थिक-सहायता का प्रत्यक्ष प्रवाह आरजीसीटी के निजीकरण से समाप्त हो गया होगा, फिर भी पत्तन को बीओटी की आय ऐसे प्रयोजनों के लिए उपलब्ध है। पत्तन की यह व्याख्या कि संशोधित प्रशुल्क दिशानिर्देश प्रशुल्क संगणन में राजस्व के हिस्से की आय मानने की अनुमति नहीं देते, पूर्णतः अनुचित है और संबंधित दिशानिर्देश केवल बीओटी प्रचालक पर लागू है।

(iv) अधिकांश प्रयोक्ताओं ने भी प्रस्तावित पर्यवेक्षण प्रभार पर जोरदार आपत्ति उठाई है। यह उल्लेख करना संगत है कि चेन्नई पत्तन में चेन्नई कन्टेनर टर्मिनल लिमिटेड, कांडला पत्तन में केंद्रीय भांडागारण निगम और जवाहरलाल पत्तन न्यास द्वारा सीएफएस प्रचालनों के लिए इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित दरों में मान के इस सेवा के लिए कोई पृथक प्रशुल्क शामिल नहीं किया गया है।

चूंकि, पत्तन ने पर्यवेक्षण प्रभार के लिए प्रस्तावित दर का समर्थन करने हेतु कोई औचित्यपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए सीएफएस में प्रस्तावित पर्यवेक्षण प्रभार लागू करने का कोई मामला नहीं बनता। इसलिए, सीओपीटी को सीएफएस में वर्तमान प्रशुल्क व्यवस्था की समीक्षा करने और ऐसी सेवाएं प्रदान करने की लागत द्वारा विधिवत औचित्य देते हुए प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लिए प्रशुल्क लागने का पृथक प्रस्ताव दाखिल करने का परामर्श दिया जाता है।

(v) पत्तन को इस संबंध में कोई तदर्थ प्रशुल्क व्यवसथा लागू नहीं करने का सुझाव दिया गया था। फिर भी, यह समझा जाता है कि पत्तन ने प्रस्तावित दर पर अनन्तिम प्रभार लगाया है। चूंकि, प्रस्तावित पर्यवेक्षण प्रभार अनुमोदित नहीं है, इसलिए यह प्राधिकरण पत्तन को अभी तक लगाए गए अनांतिम प्रभार वापस करने का निर्देश देता है।

इस प्राधिकरण की सदैव यह चिंता रहती है कि दिए गए प्रशुल्क के लाभों को वास्तविक आयातकों और निर्यातकों तक पहुंचना चाहिए। इस मामले में भी पत्तन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वापसी के ब्यौरे संबंधित आयातक/निर्यातक को पहुंचने चाहिए, ताकि वे बिलिंग समायोजन के लिए अपने एजेंटों के साथ मामला उठा सकें।

(vi) जब आरजीसीटी का प्रचालन सीओपीटी द्वारा किया जा रहा था, तब आरजीसीटी और सीएफएस में रखे कन्टेनरों की रूकने के अवधि रूकने की एकल अवधि पर मानी गई थी

और भूमि किराया सीएफएस और आरजीसीटी में उनके अधिक रूकने पर निर्धारित निःशुल्क अवधि के बाद संग्रहित किया गया था। आरजीसीटी को आईजीटीपीएल द्वारा अधिग्रहित करने से कन्टेनर अलग से आईजीटीपीएल में निःशुल्क अवधि ले सकते हैं और तब पत्तन सीएफएस अथवा घाट क्षेत्र में प्रवेश कर सकते है तथा वहां उन्हें भरे जाने/खाली करने तक रूक सकते हैं। पत्तन के घाट और सीएफएस में कन्टेनरों पर पृथक भंडारण प्रभार नहीं है। पत्तन द्वारा जैसा सही वर्णन किया गया है कि पत्तन के सीएफएस में कन्टेनरों के अधिक रूकने के लिए भंडारण प्रभार वसूल किया जाना अपेक्षित है। इसलिए, इसने तीन दिनों की निःशुल्क अवधि की अनुमति देने के बाद अपने सीएफएस में आने वाले कन्टेनरों पर भंडारण प्रभार लगाने का प्रस्ताव किया है। भंडारण प्रभार निजीकरण के पूर्व पत्तन द्वारा प्रभार्य स्तर पर डॉलर के रूप में प्रस्तावित है। यह तथ्य मानते हुए कि यहां तक कि निजीकरण के पूर्व पत्तन ने आरजीसीटी और सीएफएस में कन्टेनर के अधिक रूकने पर निःशुल्क अवधि के बाद भंडारण प्रभार वसूल किया है, यह प्राधिकरण पत्तन सीएफएस में प्रस्तावित भंडारण प्रभार अनुमोदित करने का इच्छुक है। यह मानना होगा कि यह लागू की गई प्रशुल्क की नई मद नहीं बल्कि, निःशुल्क अवधि की अनुमति देने के बाद मौजूदा भंडारण प्रभार लगाने के लिए सीओपीटी को दिया गया एक स्पष्ट प्राधिकार है।

पत्तन ने तटीय कन्टेनरों के लिए रुपए के रूप में अलग से भंडारण प्रभार प्रस्तावित नहीं किया है। पत्तन सीएफएस में तटीय कन्टेनरों के लिए भंडारण प्रभार अन्य महापत्तनों/निजी टर्मिनलों में निर्धारण के अनुरूप रूपान्तरण प्रयोजन के लिए चालू विनिमय दर लागू करते हुए रुपए के रूप में निर्धारित किया जाता है।

(vii) तीन दिनों की प्रस्तावित निःशुल्क अवधि उस सामान्य अवधि, जो कन्टेनर को भरने/खाली करने के लिए अपेक्षा होती है, पर आधारित है। कुछ प्रयोक्ता संगठनों ने तर्क दिया है कि अन्य निजी सीएफएस में अनुमत्य निःशुल्क अवधि पत्तन द्वारा प्रस्तावित स्तर से अधिक है। इस परिप्रेक्ष्य में, यह उल्लेख करना संगत है कि आईजीटीपीएल में निःशुल्क अवधि प्राप्त करने के बाद प्रयोक्ता पत्तन सीएफएस में निःशुल्क दिवसों के दूसरे सेट का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, जो पहले उपलब्ध नहीं था और इसलिए प्रस्तावित व्यवस्था से प्रयोक्ताओं को राहत मिलेगी।

पत्तन ने स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित तीन दिनों की निःशुल्क अवधि में पत्तन की ओर से कन्टेनर भरने अथवा खाली करने में किया गया कोई विलम्ब शामिल नहीं होगा। यह संशोधित प्रशुल्क दिशानिर्देशों में उल्लिखित सिद्धांतों के अनुरूप है कि प्रयोक्ताओं को पत्तन पर आरोप्य

विलम्ब के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए, प्रस्तावित शर्त स्वीकार की जाती है।

संशोधित प्रशुल्क दिशानिर्देशों की शर्त के अनुसार निःशुल्क अवधि के संगणन के लिए सीमाशुल्क के अवकाश दिवसों और पत्तन के अकार्य दिवसों को छोड़ देना चाहिए। यद्यपि इसने इस संबंध में परिपत्र जारी किए जाने की सूचना दी है, फिर भी प्रस्ताव में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए, संशोधित प्रशुल्क दिशानिर्देशों और अन्य महापत्तनों/निजी टर्मिनलों में समान निर्धारण के अनुरूप एक उपयुक्त शर्त निर्धारित की जाती है।

(viii) प्रस्ताव का तीसरा भाग इसके दरों के मान में निर्धारित घाटशुल्क अनुसूची के अनुसार एलसीएल कार्गो पर सीओपीटी द्वारा घाटशुल्क प्रभार लगाने से संबंधित है। यह उल्लेखनीय है कि एलसीएल कार्गो पर घाटशुल्क लगाना कोचीन पत्तन न्यास में प्रशुल्क की नई मद नहीं है। सीओपीटी के दरों में मान के घाटशुल्क अनुसूची में प्रत्येक कार्गो मद तथा साथ ही घाट के परिसर अथवा सीएफएस के भीतर कार्गो के भरे जाने/खाली करने के मामले में कन्टेनर पर घाटशुल्क के लिए निर्धारित दरों पर कन्टेनरयुक्त कार्गो पर घाटशुल्क लगाना निर्धारित किया गया है। सीओपीटी ने यह भी निवेदन किया है कि आरजीसीटी के प्रारंभ होने से लेकर एलसीएल कार्गो पर घाटशुल्क सीएफएस में संग्रहित किया गया था और यह राशि घाटशुल्क की बॉक्स दर से बहुत अधिक थी।

इसलिए, सीओपीटी ने पत्तन को एलसीएल कार्गो पर घाटशुल्क संग्रहित करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है और ऐसे एलसीएल कन्टेनरों के मामले में आईजीटीपीएल को बॉक्स दर की प्रतिपूर्ति करने की सहमति दी है, ताकि प्रयोक्ताओं पर दुबारा बोझ नहीं पड़े।

जैसा कुछ प्रयोक्ताओं द्वारा सही वर्णन किया गया और सीओपीटी द्वारा भी स्वीकार किया गया है, सीएफएस में कोई घाटशुल्क नहीं लगाया जा सकता। इसलिए, पत्तन ने बाद में इस शब्द को "एलसीएल कार्गो प्रबंध प्रभार" के रूप में संशोधित किया है, यद्यपि दर इसकी अनुसूची में निर्धारित घाटशुल्क दर के समतुल्य होगी। सीएफएस में एलसीएल कार्गो प्रचालन से राजस्व का स्तर टर्मिनल के निजीकरण के पूर्व प्राप्त स्तर के समान बनाए रखना प्रस्ताव के पीछे मुख्य तर्क है।

यद्यपि, आईजीटीपीएल को इस प्रस्ताव पर सिद्धांततः कोई आपत्ति नहीं है, फिर भी इसने सीओपीटी से कन्टेनरों पर घाटशुल्क की बॉक्स दर की प्रतिपूर्ति स्वीकार करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। इस प्राधिकरण के सुझाव के आधार पर सीओपीटी ने बाद में क्रमशः

20 फुट और 40 फुट के कन्टेनर पर 500/- रुपए और 750/- रुपए की दर पर आईजीटीपीएल में प्रभार्य घाटशुल्क की बॉक्स दर प्रतिसंतुलित करने के लिए एलसीएल आयात/निर्यात कार्गो पर अपनी अनुसूची में निर्दिष्ट घाटशुल्क दरों पर 10% की रियायत प्रदान करने का प्रस्ताव किया है।

इस संबंध में यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि आईजीटीपीएल के दरों के मान में निर्धारित घाटशुल्क की बॉक्स दर प्रति 20 फुट के कन्टेनर के लिए 550/- रुपए, 40 फुट के कन्टेनर के लिए 825/- रुपए और 40 फुट से अधिक के कन्टेनर के लिए 1100/- रुपए है, न कि सीओपीटी द्वारा दर्शाए गए स्तर पर।

प्रस्तावित 10% की रियायत कुछ नमूना कन्टेनरों के संबंध में सीएफएस में एलसीएल कार्गो पर संग्रहित घाटशुल्क के ब्यौरों के संकलन के आधार पर निकाली गई है, जो सभी मामलों में आईजीटीपीएल में अदा की गई घाटशुल्क की बॉक्स दर को प्रतिसंतुलित नहीं कर सकती। इसे ध्यान में रखते हुए, प्रस्तावित शर्त को यह वर्णन करने के लिए कि एलसीएल आयात/निर्यात कार्गो पर एलसीएल कार्गो प्रबंध प्रभारों में 10% रियायत की अनुमति 20 फुट के कन्टेनर के लिए न्यूनतम 550/- रुपए, 40 फुट के कन्टेनर के लिए 825/- रुपए और 40 फुट से अधिक के कन्टेनर के लिए 1100/- रुपए के अधीन दी जाएगी।

चूंकि, किसी विशेष एलसीएल कन्टेनर के लिए बहु परेषिती हो सकते हैं, इसलिए एलसीएल प्रबंध प्रभार में रियायत सीओपीटी द्वारा यथा सहमत्य संबंधित परेषितियों पर लगाए जाने योग्य इस प्रभार के अनुपात में समानुपातिक रूप से वितरित की जानी चाहिए।

जैसा पहले उल्लेख किया गया है, यह प्रशुल्क की नियमित मद नहीं है, परंतु इसे सीओपीटी के दरों के मान के अगले संशोधन तक एक अंतरिम व्यवस्था के रूप में अनुमोदित किया जाता है। सीओपीटी को प्रशुल्क व्यवस्था की समीक्षा करने और उपयुक्त प्रशुल्क संरचना का प्रस्ताव देने का सुझाव दिया जाता है, जैसा महापत्तनों में अन्य सीएफएस प्रचालकों के मामले में अनुमोदित किया गया है।

(ix) खाली किए गए अथवा सीएफएस में भरे जाने के लिए प्रतीक्षारत कार्गो के मामले में निर्धारित निःशुल्क अवधि के बाद विलम्ब शुल्क प्रभार अनुसूची 3.2.2 के अधीन निर्धारित विलम्बशुल्क की लेवी के लिए सामान्य प्रावधान के अनुसार लगाया जा रहा था। सीओपीटी उसी व्यवस्था को जारी रखने का विचार रखता है, परंतु स्पष्टता के प्रयोजनार्थ इच्छा रखता है कि ऐसा निर्धारण सीएफएस में कार्गो भंडारण पर विलम्बशुल्क लगाने के प्रयोजनार्थ स्पष्ट किया जाना चाहिए। सीओपीटी का प्रस्ताव अनुमोदित प्रभाव से किया जाता है।

(x) सीओपीटी ने प्रस्तावित दरें अनन्तिम रूप से दिनांक 18 अगस्त, 2005 से लागू की हैं। इसलिए, इसने इस प्राधिकरण से अपने प्रस्ताव को दिनांक 18 अगस्त, 2005 से भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया है। यह प्राधिकरण दरों के भूतलक्षी संशोधन को तब तक अनुमोदित नहीं करता, जब तक आपवादिक विचार करने की आवश्यकता के लिए कोई असाधारण परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होती। संशोधित प्रशुल्क दिशानिर्देश भी दरों के भावी कार्यान्वयन की सिफारिश करते हैं।

वर्तमान मामले में, सीएफएस पर भंडारण प्रभार और पत्तन द्वारा लगाए गए एलसीएल कार्गो प्रबंध प्रभार पत्तन द्वारा अपने टर्मिनल के निजीकरण के पूर्व प्रदान की गई समान सेवाओं के लिए मौजूदा अधिसूचित दरों पर आधारित है। यह प्राधिकरण पत्तन के अनुरोध पर विचार करता है और दिनांक 18 अगस्त, 2005 से भूतलक्षी अनुमोदन प्रदान करता है।

सीओपीटी द्वारा यथा सहमत्य, इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क के आधिक्य में पत्तन द्वारा संग्रहित प्रभार संगत प्रयोक्ताओं/परेषितियों को वापस किया जाना है।

(xi) इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क साधारणतया संशोधित प्रशुल्क दिशानिर्देशों के अनुसार आदेश की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्षो की अवधि के लिए वैध है। तथापि, वर्तमान मामले में सीओपीटी को तत्काल सीएफएस कार्यकलाप के लिए पृथक प्रस्ताव दाखिल करना चाहिए अथवा उन्हें शीघ्र ही विचारार्थ लिए जाने वाले सामान्य संशोधन प्रस्ताव में शामिल करना चाहिए। अभी प्रदान किया गया अनुमोदन पत्तन न्यास द्वारा दाखिल सामान्य संशोधन प्रस्ताव के आधार पर तैयार किए जाने वाले संशोधित दरों के मान के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक लागू रहेगा।

10. परिणामतः और उपर दिए गए कारणों तथा समग्त रूप से विचार किए जाने के आधार पर यह प्राधिकरण अनुसूची 4.7-सीओपीटी के मौजूदा दरों के मान के भरने और खाली करने के प्रभारों के अधीन निम्नलिखित टिप्पणियां प्रविष्ट करने का अनुमोदन प्रदान करता हैः-

(i) **अनुसूची 4.7 के अधीन मौजूदा टिप्पणी सं. 2 को हटाएं और उसे निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करेंः**

"एलसीएल आयात/निर्यात कार्गो के मामले में सीओपीटी अपने मौजूदा दरों के मान की अनुसूची 3.1 में निर्धारित घाटशुल्क दरों पर एलसीएल कार्गो प्रबंध प्रभार संग्रिहत करेगा। घाटशुल्क अनुसूची में निर्दिष्ट दरों पर 10% की रियायत की 20 फुट वाले कन्टेनर के लिए न्यूनतम 550/- रुपए; 40 फुट वाले कन्टेनर के लिए 825/- रुपए और 40 फुट से अधिक के कन्टेनर के लिए 1100/- रुपए के अधीन अनुमति दी जाएगी।"

(ii) अनुसूची 4.7 के अधीन टिप्पणी सं. 3 निम्नानुसार प्रविष्ट करें:

पत्तन के घाटों और सीएफएस में कन्टेनरों (एफसीएल/एलसीएल, भरे अथवा खाली) पर भंडारण प्रभार।

क्रम सं.	कब्जे की अवधि	प्रति दिन अथवा उसके भाग के लिए प्रति कन्टेनर दर			
		20 फुट वाला कन्टेनर		40 फुट वाला कन्टेनर	
		विदेशीगामी (अमरीकी डॉलर)	तटीय (रुपए)	विदेशीगामी (अमरीकी डॉलर)	तटीय (रुपए)
1.	पहले तीन दिन	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क	निःशुल्क
2.	4थे दिन से 15वें दिन	3.00	138	6.00	276
3.	16वें दिन से 30वें दिन	6.00	276	12.00	552
4.	उसके बाद	12.00	552	24.00	1104

(क) निःशुल्क अवधि में पत्तन की ओर से कन्टेनर को भरने अथवा खाली करने में सीओपीटी द्वारा प्राधिकृत संबंधित प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणित विलम्ब की कोई अवधि शामिल नहीं होगी।

(ख) निःशुल्क अवधि में सीमाशुल्क के अवकाश दिवस और पत्तन के अकार्य दिवस शामिल नहीं होंगे।

(iii) अनुसूची 4.7 के अधीन टिप्पणी सं. 4 निम्नानुसार प्रविष्ट करें:

"निःशुल्क अवधि और कार्गो पर विलम्बशुल्क प्रभार लगाना दरों के मान की अनुसूची 3.2 में निर्धारित प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होगा।"

(अ.ल. बोंगिरवार)

अध्यक्ष